Sub- C2- Contemporary India and Education

सार्वभौमिक शिक्षा के मानदण्ड :—
(Universal Education norms)

नवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य के बारे में निम्न लिखित तीन मानदण्ड रखे गये।

(i) सर्वव्यापी पहुंच तथा नामांकन —:
(Universal Access and Enrolment)

जनसंख्या विस्फोट ने समस्त प्रयासों एवं उपलब्धियों को अर्थहीन बना दिया है। NPE 1986 की कार्ययोजना में सभी राज्यो से कहा गया कि 300 आबादी वाले ~~क्षेत्र~~ क्षेत्रो मे एक प्राथमिक विद्यालय खोले जायें।

नामांकन का अभिप्राय 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चो को विद्यालय में प्रवेश दिलाने से है।

सर्वव्यापी पहुंच में सभी बच्चो - लड़कियो, दिव्यांगो, SC, ST के सभी बच्चों को प्रवेश तथा शिक्षा (6 से 8) दिलाना है।

(ii) सर्वव्यापी धारणा (Universal Retention) —:

प्रत्येक नामांकित बच्चे को तब तक रोका जायें विद्यालय में जब तक कि वह विहित आयु और पाठ्यक्रम पूरा न कर ले।

दूसरे शब्दों में, बच्चा प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति तक विद्यालय में बना रहे।

सामान्यतः यह देखा गया है अनेक बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किये बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अतः सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रवेश/नामांकित बच्चों को कक्षा 8 तक विद्यालय में रोके रखना है।

(iii) सर्वव्यापी उपलब्धि :— (Universal Achievement)

(i) अधिगम के न्यूनतम स्तरो (Minimum Levels of Learning) का विस्तार।

(ii) विद्यालयीय संरचना, शिक्षक, शिक्षा अधिगम वस्तु आदि संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास।

(iii) प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या (National Curriculum) का विकास किया जाये।

इस प्रकार सर्वव्यापी उपलब्धि से तात्पर्य बच्चा अपनी आयु एवं कक्षा के न्यूनतम ज्ञान की जानकारी रखता हो। स्कूल पास होने के उपरान्त भी यह आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

Sub - C2 Contemporary India and Education

11 Friday
पौष सुदी ५-२०७५

सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय –
(MEASURES TO Achieve the Target of Universalization

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 1992 में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लिए निम्न पर बल दिया गया—

(i) स्कूल न जाने वाले पर्वतीय, आदिवासी क्षेत्रो जहाँ औपचारिक शिक्षा का कोई प्रावधान न हो अनौपचारिक शिक्षा को स्वीकृत विकल्प समझा जाये।

(ii) स्कूल चलाने वाली पात्र एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता दी जायेगी।

(iii) 'अनौपचारिक शिक्षा' पद्धति के बच्चों को बाद में औपचारिक शिक्षा (Formal Education) से जोड़ने पर बल दिया जाये।

12 Saturday
पौष सुदी ६-२०७५

अन्य प्रयास

(a) अनौपचारिक शिक्षा (Non- Formal Education) – शिक्षा आयोग (1964-66) में अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से, कामकाजी बच्चों,

13 Sunday
पौष सुदी ७-२०७५

बालिकाओं तथा बिना स्कूल बस्तियों के निवासियों को शिक्षा प्रदान करने में इस शिक्षा को महत्व दिया है।

अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 6-14 आयु के उन बच्चों को जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक कठिनाइयों के कारण औपचारिक शिक्षा से वंचित है उन्हे समान शिक्षा का प्रावधान करना है।

Monday 14
पौष सुदी ८-२०७५

(b) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (Operation Black board Scheme) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987-88 में शुरू की गयी थी। इस योजना के तीन परस्पर निर्भरात्मक तत्व हैं —

(i) लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग शौचालय, एक बरामदे सहित दो कमरे।

(ii) प्रत्येक स्कूल में कम से कम दो शिक्षक हो जिनमे यथासम्भव एक महिला हो।

(iii) ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट, खिलौनो, कार्य अनुभव के लिए उपकरणों सहित आवश्यक पठन सामग्री का प्रबन्ध।

Tuesday 15
पौष सुदी ९-२०७५

(C) न्यूनतम शिक्षण स्तर (MLL)
(Minimum Learning Level)

कक्षाओं मे समानता तथा गुणवत्ता को लाने के लिए अध्ययन के न्यूनतम स्तर को कायम करने के लिए (MLL) इस नीति को सुनिश्चित किया गया। न्यूनतम शिक्षण स्तर में मुख्य ध्यान स्तर आधारित अध्यापन तथा शिक्षण पर दिया गया है।

Sub: C2- Contemporary India and Education

DATE / / PAGE No.

हाशिए पर आये लोग (अनुसूचित जाति / जनजाति) की शिक्षा – (Universal Educacation in Marginalization People.)

संविधान के अनु० 341 – 342 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जातियां अनुसूचित तथा जनजाति मानी जाती है।

(A) अनुसूचित जातियों की शिक्षा (Education of the Scheduled Caste)

ये निम्न प्रकार हैं –:

(i) अनु० जाति तथा छल व्यवसाय में लगे बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना कक्षा पहली से)

(ii) SC के बच्चो को, निर्धन परिवारो को प्रोत्साहित करें कि 6-14 आयु के बच्चो को विद्यालय भेजें

(iii) शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति के शिक्षको की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दे।

(iv) अनु० जाति के छात्रो के लिए जिला केन्द्रो पर छात्रावास की सुविधा अधिक बढ़ाना।

(v) अनु० जातियो का शिक्षा प्रक्रिया मे समावेश बढ़ाने हेतु नये तरीके अपनाना।

DATE / / PAGE No.

(B) ST / अनु० जातियो अनुसूचित जनजातियों के उत्थान हेतु संवैधानिक प्रयास (Constitutional Education Provisions in SC/ST)

भारतीय संविधान द्वारा सामाजिक समानता की व्यवस्था निम्न अनुच्छेदो द्वारा की गयी है।

(i) अनु० 15 – (1) –: राज्य धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नही करेगा।

(ii) अनु० 15 (4) –: अनु० जातियो की शैक्षिक प्रगति के लिए विशेष प्रावधान बनाये जायेगें।

(iii) अनु० 17 –: अस्पृश्यता (Untuchable) का अन्त

(iv) अनु० 25 (2) –: राज्य द्वारा संचित / घोषित किसी शिक्षा संस्थान मे किसी नागरिक को जाति, धर्म, वंश के आधार पर शिक्षा से वंचित नही किया जायेगा।

(v) अनु० 243 (D) –: के अनुसार स्थानो का आरक्षण निम्न बिन्दुओं पर होगा –

(vi) अनु० – 338 में SC/ST को राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकार की व्यवस्था।

Scanned with CamScanner

Sub - C2

Contemporary India and Education

## अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा
## (Education of the Scheduled Tribes)

निश्चय ही आदिवासियों की अपनी सांस्कृतिक सामाजिक विशिष्टता होती है। पाठ्यक्रम निर्माण में तथा शिक्षण - सामग्री तैयार करने में प्रारम्भ में आदिवासी भाषा का उपयोग किया जाये।

अनुसूचित जन जाति (—:

गोल का एक विस्तृत स्वरूप जनजाति है। जनजाति (Tribes) एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनैतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है।

सामान्यतः ये अन्तर्विवाह के नियमों का पालन करते हैं।

जनजातीय कल्याण योजनाएं —(Tribal Welfare Schemes)

(i) पंचवर्षीय योजनाएं - (Five Years Plan) —:

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इनके कल्याण के विशिष्ट कोष किए हैं। 6वीं योजना में शिक्षा जैसी आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता देकर 5,5,35 रु० करोड़ खर्च किए गये।

(ii) योजना कार्यक्रम (Plan Programmes) -:

(i) प्रशिक्षण व पथ प्रदर्शन केन्द्र

(ii) छात्रवृत्तियाँ (iii) छात्रावास

Scanned with CamScanner

Education

अनुसूचित जनजातियों,

(B) ST/अनु० जातियों के उत्थान हेतु संवैधानिक प्रयास (Constitutional Education Provisions in SC/ST)

भारतीय संविधान द्वारा सामाजिक समानता की व्यवस्था निम्न अनुच्छेदों द्वारा की गयी है।

(i) अनु० 15 – (1) –: राज्य धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

(ii) अनु० 15 (4) –: अनु० जातियों की शैक्षिक प्रगति के लिए विशेष प्रावधान बनाये जायेंगे।

(iii) अनु० 17 –: अस्पृश्यता (Untouchable) का अन्त

(iv) अनु० 25 (2) –: राज्य द्वारा संचित / पोषित किसी शिक्षा संस्थान में किसी नागरिक को जाति, धर्म, वंश के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जायेगा।

(v) अनु० 243 (D) –: के अनुसार स्थानों का आरक्षण निम्न बिन्दुओं पर होगा –

(vi) अनु० – 338 में SC/ST को राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकार की व्यवस्था।

Sub. C2.
Contemporary India and Education

शैक्षिक अवसरों की समानता
(Equality of Educational Opportunity)

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 लिखता है कि " शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करना है एवं पिछड़े अथवा अनपर्याप्त सुविधा प्राप्त वर्ग या व्यक्तियों को अपने विकास के लिए शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है"।

(A) शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ :

शैक्षिक अवसरों की समानता से तात्पर्य अवसरों की एकरूपता से नहीं है। यहाँ शैक्षिक अवसरों की समानता से तात्पर्य जाति, धर्म, लिंग, तथा क्षेत्र के आधार पर पक्षपात न करते हैं सबके लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने से है।

मूल अर्थ में शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ उन व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त शैक्षिक साधन जुटाना जो किन्हीं कारणों से पिछड़े हुए हैं जिससे वे समान प्रगति कर सकें।

(B) शैक्षिक अवसरों की समानता का महत्व
(Importance of Equality of Educational opportunity)

विकासशील भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता का निम्न महत्व है।

(I) समाज के दलित व पिछड़े वर्ग / व्यक्तियों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे।

(II) शैक्षिक अवसरों की समानता मानवीय दृष्टिकोण से भी आवश्यक है।

(III) समाज के आधुनीकरण के लिए भी शैक्षिक अवसरों की समानता अनिवार्य है।

(IV) सामाजिक न्याय के लिए भी सबको एक समान अवसर प्रदान करना उचित है।

शैक्षिक अवसरों की समानता पहले उन व्यक्तियों की ओर अग्रसारित किया जाये जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हों।

(i) स्त्री वर्ग (ii) SC, ST, OBC
(iii) दिव्यांग व्यक्ति (iv) निर्धन या विकट दुरूस्थ